तापमान

भोपाल	23.0°	33.0°
इंदौर	25.0°	36.0°
जबलपुर	28.0°	36.0°
ग्वालियर	27.0°	38.0 °
सागर	23.0°	36.0 °

नईदुनिया

वर्ष- 80
(सागरः वर्ष 13 अंक 85, पृष्ठ 12)
ज्येष्ठ, शुक्ल तृतीय संवत् 2083
बुधवार, 17 जून 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com | सागर संस्करण | भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... समाज में समता का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण ...

खेल... ज्योति ने पूरे किए 100 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, हाकी ...

व्यापार... सर्राफा बाजार में तेजी का रुख, सोना और चांदी...

देश-विदेश... दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो ...

खास-खबरें

उद्धव शिवसेना में टूट की चर्चा तेज

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः शिवसेना में एक बार फिर टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। शिंदे गुट के विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सात सांसद उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह से चल रही चर्चा अब अंतिम चरण में है और मानसून सत्र से पहले ये सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इधर, सांसदों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा और वह खुशी-खुशी जा सकता है। उन्होंने वर्ष 2022 में हुई बगावत का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी उन्हें स्थिति की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी पर दबाव नहीं बनाया था।

ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को दी चुनौती

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मंगलवार को वह स्वयं याचिका दाखिल करने न्यायालय पहुंचीं। उन्होंने चुनाव परिणाम की वैधता की जांच कराने की मांग की है। भवानीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 मतों से पराजित किया था। ममता इससे पहले इस क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुकी हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी तथा अपने साथ मारपीट होने के आरोप भी लगाए थे। उल्लेखनीय है कि 4 मई को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने 208 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया था।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जांच तेज

नईदुनिया ब्यूरो,अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंगलवार को पुलिस को तीन शिकायतें प्राप्त हुईं, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस बीच विशेष जांच दल ने मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर भी जांच दल के साथ मौजूद रहे। जांच दल ने ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई। सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों की प्रवेश के समय जांच होती थी, लेकिन बाहर निकलते समय नहीं। मामले में अब तक पांच लोगों के नाम सामने आए हैं। उनकी निशानदेही पर लगभग दो करोड़ रुपये की बरामदगी हो चुकी है। दो आरोपी पुलिस अभिरक्षा में हैं और जांच जारी है।

22 जून तक सेवा बंद रहेगी, संदेश संशोधन सुविधा 30 जून तक निलंबित

टेलीग्राम एप पर अस्थायी रोक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने देश में टेलीग्राम संदेश सेवा के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 22 जून तक प्रभावी रहेगा।

नीट पुनर्परीक्षा से पहले सरकार का बड़ा कदम

पुनर्परीक्षा 21 जून को

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के बाद भी टेलीग्राम को अपने संदेश संशोधन की सुविधा 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत पहले से भेजे गए संदेशों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

इस कारण लगाई टेलीग्राम पर रोक

एजेंसी ने बताया कि कुछ लोग टेलीग्राम का उपयोग परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के फर्जी प्रमाण तैयार करने और अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए कर रहे थे। ऐसे मामलों को रोकने तथा परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने हाल के दिनों में टेलीग्राम पर संचालित कई चैनलों, समूहों और स्वचालित खातों को हटवाया है। इन माध्यमों का उपयोग अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को गुमराह करने तथा प्रश्नपत्र लीक होने के झूठे दावे करने के लिए किया जा रहा था। कुछ समूहों द्वारा अभ्यर्थियों से लाखों रुपये तक की मांग किए जाने की शिकायतें भी सामने आई थीं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह निराधार हैं। एजेंसी के अनुसार संदेश संशोधन सुविधा का दुरुपयोग कर कुछ लोग परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्नपत्र अथवा अन्य सामग्री जोड़कर यह दिखाने का प्रयास करते थे कि प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो चुका था। इसी कारण इस सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कराया गया है।

अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़

राज्य पुलिस एजेंसियों ने भी इस प्रकार की धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई की है। अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसने फर्जी बैंक खातों के माध्यम से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का लेनदेन किया था। जांच में सामने आया कि गिरोह ने एक माह के भीतर लगभग एक हजार मोबाइल नंबरों से संपर्क किया था। उल्लेखनीय है कि 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। जांच के उपरांत केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। यह परीक्षा देशभर के चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश का प्रमुख माध्यम है।

जी-7 शिखर सम्मेलन में मोदी-ट्रम्प की मुलाकात

एवियन/नई दिल्ली, एजेंसीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे। सम्मेलन के दौरान समूह के सदस्य देशों तथा आमंत्रित राष्ट्रों के प्रमुखों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने लगभग पांच मिनट तक बातचीत की और बैठक के दौरान एक साथ बैठे दिखाई दिए।

करीब 16 माह बाद दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात हुई है। इससे पहले उनकी अंतिम भेंट फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच बुधवार शाम व्यापार समझौते सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। संभावित वार्ता में भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, शुल्क नीति, निवेश और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषय प्रमुख रह सकते हैं।

लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और कनाडा सहित सदस्य देशों के नेता भाग ले रहे हैं। इसके अलावा भारत, ब्राजील, मिस्र, दक्षिण कोरिया और केन्या समेत कई आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। जी-7 विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी।

देशविरोधी गतिविधियों में शामिल एक को जेल और दूसरा रिमांड पर

आतंकी नेटवर्क की पड़ताल कर रही जाँच एजेंसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः देशविरोधी गतिविधियों और कथित आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामले में गिरफ्तार मोहम्मद फराज और नईम अब्दुल्ला को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने मोहम्मद फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जबकि नईम अब्दुल्ला को चार दिन के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता की अभिरक्षा में सौंप दिया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले की

जांच अभी जारी है और नईम से पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। उससे नेटवर्क, डिजिटल संपर्कों, विदेशी संबंधों और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।

इस मामले में अब तक भोपाल, देवबंद, अलवर और धार से चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संदेश समूहों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। जांच एजेंसी डिजिटल गतिविधियों, विदेशी वित्तीय सहायता और पूरे नेटवर्क की कड़ियों की पड़ताल कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिए कई निर्णय

इंदौर मेट्रो को 19,472 करोड़ 29 लाख की मंजूरी

- **बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य सेवाओं पर 24 हजार 200 करोड़ खर्च होंगे**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472 करोड़ 29 लाख रुपये का

पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया। राज्य में विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने के प्रस्ताव पर 5 सदस्यीय मंत्रि-मण्डल उप समिति का गठन किया है। वन्य-प्राणी संरक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों के 94 गांवों के विस्थापन व मुआवजे के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-2031 के तहत 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रुपये आवंटित किए हैं। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक व आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से रेशम उत्पादन की विभिन्न योजनाओं के लिए 639 करोड़ 25 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये तथा स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन व ऑडिट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षा के संचालन के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किएहैं। यह सभी निर्णय पांच वर्षों में प्रदेश के समग्र, समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी पहल है।

जापान और चीन में भूकंप के तेज झटकों से दहशत

टोक्यो/शीनिंग, एजेंसीः जापान और चीन में मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंपों से लोगों में दहशत फैल गई। जापान के होनशू द्वीप पर रिक्टर पैमाने पर 6.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जबकि चीन के उत्तरी किंगहाई प्रांत में 6.1 तीव्रता के भूकंप ने धरती को हिला दिया। दोनों देशों में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। भूकंप विज्ञानियों ने

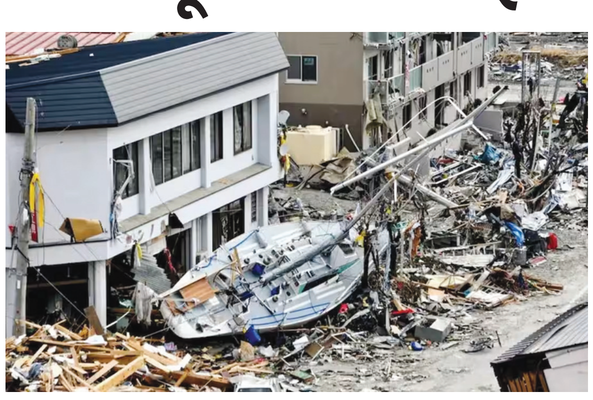

दोनों देशों में आगामी झटकों की संभावना से इंकार नहीं किया है। अधिकारियों ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से क्षतिग्रस्त इमारतों के पास न जाने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जापान की भूकंप निगरानी एजेंसियों के अनुसार, भूकंप का केंद्र होनशू द्वीप के निकट भूगर्भ में स्थित था। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, पुलिस में फिर सीधी भर्ती करने की अधिसूचना जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने मप्र पुलिस में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए गृह विभाग ने 'मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021' में महत्वपूर्ण संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है। अब पुलिस में 10 उप निरीक्षक (एसआई) और 50 आरक्षक पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को रोजगार के साथ उन्हें खेल गतिविधियों से निरंतर जुड़े रहने का अवसर देना है। नए प्रावधानों के अनुसार ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय खेल और अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भर्ती में अवसर मिलेगा। ओलंपिक ,एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी पात्र होंगे। खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता और ऊंचाई जैसे शारीरिक मापदंडों में छूट दी जाएगी। लिखित व शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी मुक्त रखा जाएगा।

भारतीय वायुसेना के अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म का आरोप

- **जबरन धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग मामले में दो गिरफ्तार, मौलाना फरार**

नईदुनिया ब्यूरो, नागपुरः नागपुर में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की 24 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौलाना फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे पीड़िता का स्कूल का सहपाठी था। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि फरवरी 2025 में आरोपी ने भूखंड खरीदने के बहाने संपर्क किया और एक होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद आपत्तिजनक चित्र और वीडियो के माध्यम से उसे ब्लैकमेल किया गया तथा कई बार यौन शोषण किया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और उससे जबरन धार्मिक रस्में कराई गईं। पुलिस ने दुष्कर्म, जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्म परिवर्तन तथा अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो थाना प्रभारी सहित 100 पर एफआईआर

नईदुनिया ब्यूरो, आगर मालवाः राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र स्थित घाटाखेड़ी गांव में जनवरी 2026 में हुई मादक पदार्थ विरोधी कार्रवाई के मामले में मध्य प्रदेश के दो थाना प्रभारियों सहित करीब 100 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई चौमहला न्यायालय के आदेश पर की गई। मामला उस दबिश से जुड़ा है जिसमें आगर पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और उसे बनाने की सामग्री बरामद करने का दावा किया था। हालांकि जांच के दौरान कार्रवाई से जुड़े कई तथ्यों पर सवाल उठे। जांच में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती से संबंधित कई अभिलेख नहीं मिले।

बदलाव केंद्र सरकार ने दवा बिक्री नियमों में किया संशोधन...

अब डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कफ सिरप की बिक्री और वितरण को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत अब कफ सिरप बिना चिकित्सक के पर्चे के नहीं खरीदी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से सिरप आधारित दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी मजबूत होगी तथा इनके निर्माण और बिक्री में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ड्रग्स नियम, 1945 की अनुसूची-के में संशोधन किया गया है। इस अनुसूची में उन दवाओं को शामिल किया गया था, जिन्हें कुछ नियामकीय प्रावधानों में छूट प्राप्त थी। संशोधन के बाद कफ सिरप को इस सूची से हटा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब देश के सभी क्षेत्रों में कफ सिरप की बिक्री केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त दवा दुकानों के माध्यम से ही की जा सकेगी। सरकार ने बताया कि संशोधन से पहले 29 दिसंबर 2025 को मसौदा अधिसूचना जारी कर आम नागरिकों और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। इसके बाद देश की सर्वोच्च वैधानिक तकनीकी सलाहकार संस्था ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श कर यह निर्णय लिया गया। संशोधन ड्रग्स एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत प्राप्त अधिकारों के आधार पर किया गया है।

ग्रामीण इलाकों में छूट समाप्त

मंत्रालय ने बताया कि पहले एक हजार से कम आबादी वाले गांवों में कफ सिरप की बिक्री के लिए कुछ खुदरा लाइसेंस संबंधी प्रावधानों में छूट थी। नए नियम लागू होने के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और छोटे गांवों में भी दवा बिक्री के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। दवा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से लगातार कदम उठा रही है। वर्ष 2022-23 में भारतीय कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे। इसके बाद कफ सिरप के निर्यात से पहले सरकारी प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य किया गया। साथ ही दवा निर्माण इकाइयों के लिए संशोधित विनिर्माण मानकों को भी सख्ती से लागू किया गया तथा कई कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि सिरप आधारित दवाओं में विभिन्न रसायनों और तरल पदार्थों का उपयोग होता है, इसलिए इनके निर्माण और भंडारण में छोटी लापरवाही भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अक्टूबर 2025 में दूषित कफ सिरप के सेवन से 26 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इस विषय पर व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी।